रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
(पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर)

समस्त पत्र–व्यवहार कुलसचिव को सम्बोधित किया जाए, किसी अन्य अधिकारी के नाम से नहीं। सम्बंधित विषय में यदि पूर्व में पत्र–व्यवहार हुआ हो तो उसके क्रमांक और दिनांक का अनिवार्यतः उल्लेख किया जाना चाहिए, अन्यथा कार्यवाही करने में कठिनाई होगी।

प्रेषक :–
कुलसचिव,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर

फैक्स : 0761–2603752
दूरभाष : कार्यालय : 2600785
निवास : 2602606
पी.ए.बी.एक्स. : 2600567, 68, 69

क्रमांक / कु.स. / 2010 / 497 / सभा / जबलपुर, दिनांक : 21.10.2010

प्रति,

प्राचार्य / प्राचार्या
सभी शासकीय एव अशासकीय सम्बद्ध महाविद्यालय,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––

विषयः शैक्षणिक सत्र 2010–2011 में महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्र–छात्राओं से संबंधित जानकारी (Statistical Data)।

महोदय / महोदया,

(अ) उपर्युक्त विषय पर प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा मंत्रालय, वल्लभ भवन में दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 को आयोजित बैठक में ये निर्देश दिये गये हैं कि सत्र 2010–2011 में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों के संबंध में संलग्न प्रोफार्मा पर आवश्यक जानकारी शासन को अविलम्ब उपलब्ध करायी जाये। उपर्युक्त जानकारी शासन के स्तर से जी.ई.आर. (ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो) से संबंधित संसूचनायें तैयार करने हेतु अत्यावश्यक है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त जानकारी महाविद्यालयों से प्राप्त करने तथा उसे संकलित रूप में शासन को ऑन–लाईन भेजने हेतु दिनांक 30 सितम्बर, 2010 की समय–सीमा निर्धारित है, इस बात से आप भी सहमत होंगे कि आपके महाविद्यालय से संबंधित नियमित विद्यार्थियों की जानकारी आपको निर्धारित प्रपत्र में भेजना सहज संभव है तथा हमे विश्वास है कि वांछित जानकारी आपके द्वारा अविलम्ब विश्वविद्यालय के विकास विभाग में व्यक्तिशः उपलब्ध करा दी जावेगी ।

(ब) यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जी.ई.आर. से संबंधित संसूचनायें तैयार करने का यह अतिशय महत्वपूर्ण कार्य केवल नियमित रूप से महाविद्यालयों में प्रविष्ठ विद्यार्थियों की जानकारी उपर्युक्तानुसार तथा संलग्न प्रपत्र के अनुरूप उपलब्ध कराने से ही पूर्ण नहीं होगा अपितु इस हेतु ऐसे परिक्षार्थियों की जानकारी भी आवश्यक होगी जो महाविद्यालयीन छात्रों के रूप में तथा भूतपूर्व छात्रों के रूप में इस सत्र (2010–2011) की विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे किन्तु प्राइवेट फार्म भरकर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी छात्रों की जानकारी भी संलग्न प्रोफार्मा में तभी प्राप्त होगी जब प्राईवेट विद्यार्थियों तथा भूतपूर्व विद्यार्थियों के आवेदन पत्र आपके द्वारा अग्रेषित किये जायेगें। अतएव निवेदन है कि पैरा 'ब' मे वांछित छात्रों की जानकारी भी निर्धारित प्रपत्र में उनके आवेदन पत्र अग्रेषित करने के तत्काल बाद व्यक्तिशः इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें जिससे शासन को उक्त जानकारी भी यथासमय उपलब्ध करायी जा सके।

पुनः निवेदन है कि पैरा 'अ' एवं 'ब' में चाही गयी जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण तो है ही किन्तु उसे समय–सीमा में शासन को उपलब्ध कराना भी अनिवार्य है। इस दिशा में शासन अतिशय गम्भीर है अतएव हम आशा करते हैं कि वांछित जानकारी उक्त निर्देशानुसार आपके द्वारा अपनी व्यक्तिगत अभिरूचि के साथ उपलब्ध करायी जावेगी।

सहयोग की अपेक्षा के साथ।

भवदीय,

सही / –
कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

पृ. क्र. / कु.स. / 2010 / 497 'ब' / सभा / जबलपुर, दिनांक : 21.10.2010

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. श्री राकेश श्रीवास्तव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।

सही / –
कुलसचिव